सं.803/31/2011-एफएम

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(एफ एम प्रकोष्ठ)

दिनांक 2 नवम्बर, 2011

सूचना

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जानकारी में आया है कि कुछेक तत्व उन आवेदकों को गलत जानकारी एवं गलत मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं जो नये एफ एम रेडियो चैनल के लिए अनुमति लेने के इच्छुक हैं। एक मामले में यह पाया गया है कि इस मंत्रालय के नाम से एक कपटपूर्ण पत्र आवेदक को जारी किया गया है।

2. सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में 25.07.2011 को निजी एजेंसियों द्वारा एफ एम रेडियो प्रसारण के विस्तार के संबंध में दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं तथा यह इस मंत्रालय के वेबसाइट "www.mib.nic.in" पर उपलब्ध है। पुन: सूचित किया जा रहा है कि अनुमति प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को जब भी फैसला लिया जाए, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। मंत्रालय ने किसी परामर्शदाता, अथवा सलाहकार अथवा कंपनियों को आवेदकों की ओर से काम करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। आवेदक बार-बार मंत्रालय की वेबसाइट को देख सकते हैं अथवा नीचे दिए गए पते पर ई-मेल/फैक्स के जरिए जानकारी मांग सकते हैं :-

उप-निदेशक (एफ एम)
कमरा नम्बर 116, ए विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दूरभाष/फैक्स : 2338 4547,
ई-मेल : ddinsat@yahoo.in

3. इसलिए सभी संबंधितों को बेईमान तत्वों के बहकाने अथवा धोखे में नहीं आने की सलाह दी जाती है।

ह./

(सी. एस. कौशिक)

उप-सचिव (एफ एम)